तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सम्बन्ध में बहक गयी ऐसा निवेदन किया कि प्रार्थी [illegible] है तथा अपनी पोतेपोते की सीमा का ज्ञान तहसीलदार कुचामन के कब्जा में है तहसीलदार कुचामन की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। नाकिल सीमाज्ञान रिपोर्ट के पत्रावली के अंदर अनावेदी वकील प्रार्थी को सुना प्रार्थी की प्रार्थना पत्र ऐवं तमाम सीमाज्ञान रिपोर्ट आदि का अवलोकन ऐवं विद्वान वकील प्रार्थी की बहस का मनन एवं अप्रार्थी न। द्वारा काफी कुछ हस्तक्षेप पैमाइशी करने पर अनियमित कोलवरन से युक्त सख्त भी रामी ने प्रार्थी की प्रार्थना पत्र सही बताया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 नाकिल स्वीकार होने से स्वीकार कर ग्राम छापटी के ग्राम 48, 49 के नाकिल सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्रावली करने के आदेश दिये जाते है। ही तहसीलदार कुचामन को हिदायत किया जाता है कि पत्रावली सम्बन्ध चालना रिपोर्ट पेश करें। नाकिल नकल के मय हस्ताक्षर वापस लौटाया हो।

अग्रिम कार्य के लिए पत्रावली दिनांक 30/6/15 को सुनाया जाया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)